HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 261/2026
In
S. B. Criminal Appeal No. 308/2026

Vikram Son Of Revadya, Aged About 37 Years, Resident Of Gerota, Police Station Mehandipur Balaji, District Dausa (Raj.) (At Present Confined In District Jail, Dausa)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

Connected With

S. B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 303/2026
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 352/2026

Sharwan Lal Son Of Ranglal, Aged About 30 Years, Resident Of Devanda Ki Dhani Tan Baswa, Police Station Baswa, District Dausa, Rajasthan.
(At Present Confined In District Jail, Dausa)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajveer Singh Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

06/05/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत पृथक–पृथक सजा स्थगन/जमानत आवेदनों पर दोनों पक्षों को सुना

गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–01, बांदीकुई, जिला–दौसा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **15/2023** में पारित निर्णय दिनांक **27.01.2026** के माध्यम से अभियुक्त **विक्रम व श्रवण लाल** को धारा **8/15 व 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** के तहत दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम 05 वर्ष के **कठोर** कारावास से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है तथा करीब चार माह से कारावास की सजा भुगत रहे हैं, दोषसिद्धी हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर नहीं रही है। अपीलों में अभियुक्तगण के सफल होने की पूर्ण संभावना है, किन्तु उनके निस्तारण में समय लगेगा, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदनों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपीलों में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उक्त दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः उक्त सभी सजा स्थगन प्रार्थना पत्र **क्रमशः** प्रार्थी–अभियुक्तगण **1. विक्रम पुत्र रेवडया तथा 2. श्रवण लाल पुत्र रंगलाल की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर** स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि वे इस न्यायालय में **दिनांक 08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा

एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा** पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 27.01.2026** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इन अपीलों के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /34-35